



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
(Formerly UP Technical University)

सेक्टर-11, जनकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

Sector-11, Jankipuram Extension Yojna, Lucknow

पत्रांक: ए०के०टी०यू/कुस०का०/स्था०/2024/ 2142

दिनांक: 3 मई, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ के घटक एवं सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषय—General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक: 16-3099/116/2023-3/545851/2024 दिनांक: 22.04.2024 के साथ संलग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ०प्र० के पत्रांक: 1060/सी०ई०ओ०-1-142/1-2008 दिनांक: 11.04.2024 (संलग्न भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक: 437/6/INST/LET/FUNCT/MCC/2024 दिनांक: 10.04.2024) की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters etc. के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: रथोक्त

(रीना सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रति कुलपति, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
2. उप कुलसचिव, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
3. स्टाफ ऑफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

संख्या- #DocumentNumber#

प्रेषक,

मानिक चन्द्र ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ 0 प्र 0 कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक, उ 0 प्र 0 (द्वारा निदेशक, प्रा 0 शि 0)
5. कुलसचिव, ए 0 के 0 टी 0 यू 0, लखनऊ, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
6. कुलसचिव, एच 0 बी 0 टी 0 यू 0, उ 0 प्र 0 कानपुर।
7. कुलसचिव, एम 0 एम 0 एम 0 टी 0 यू 0, उ 0 प्र 0 गोरखपुर।
8. बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
9. कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
10. उ 0 प्र 0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
11. समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ 0 प्र 0

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 22/04/2024

विषय- General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters etc. के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1060/सी 0 ई 0 ओ 0- 1-142/1-2008, दिनांक 11-04-2024 (संलग्न भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या-437/6/INST/LET/FUNCT/MCC/2024 दिनांक 10-04-2024) की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters stc. के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

870

Digitally signed by मानिक
चन्द्र
Date: 22-04-2024 18:36:50
Reason: Approved

DR(0)

Reg.
23/4/24

07
23/04/24

2024
AR (Est)
24/04/2024

Kaishash
25/04

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1060/सी0 ई 0 ओ 0-1-142/1-2008, दिनांक 11-04-2024 (संलग्न भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या-437/6/ INST/LET/FUNCT/MCC/2024 दिनांक 10-04-2024) की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters stc. के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
(मानिक चन्द्र)

अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ-226001

संख्या-1060/सी0ई0ओ0-1-142/1-2008 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2024
सेवा में,

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज एवं आगरा।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

VS(S)

विषय: General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024-Restriction on printing of pamphlets, posters etc. regarding.

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कृपया भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-437/6 /INST/ECI/LET/FUNCT/MCC/2024 दिनांक-10.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र के माध्यम से General Elections to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024- Restriction on printing of pamphlets, posters etc. के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया आयोग के दिशा-निर्देशों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर समस्त संबंधितों के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:-1060 (1)/सी0ई0ओ0-1-तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विद प्रकाश शर्मा
विशेष सचिव,
प्राविधिक शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

1/3

50-3

92

15/4/24

11-4-24
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
16/4/2024

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

Mirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Tel. 011-23052205, 23052141 Web: www.eci.gov.in

F.No. 437/S/INST/ECI/LET/FUNCT/MCC/2024

Dated: 10th April, 2024

To

1. The Chief Secretaries,
of all States/ Union Territories.
2. The Chief Electoral Officers,
of all States/ Union Territories.

Subject: General Election to the Lok Sabha and Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, 2024 - Restriction on printing of pamphlets, posters etc. - regarding.

Madam/Sir,

I am directed to invite a reference to the Commission's letter No. 3/9/2004/JS-II, dated 24th August, 2004 and letter No. 3/9/2007/JS-II Dated: 16th October, 2007 regarding the provisions of section 127A of the Representation of the People Act, 1951.

2. Various representations have been received in the Commission stating that in hoarding spaces controlled/ regulated by Local Self Government/Municipal authorities, hoardings without the identity of the printer or publisher have been noticed.

3. In this connection, I am directed to state that the fundamental imperatives which underwrite the design of R P Act 1951 & the Model Code of Conduct in the campaigning space, in print mode, inter-alia, are the disclosure of identity of the publisher and, thereby his responsibility of the content of the material so published. The former has a nexus with issue of campaign financing & fixing of responsibility in case content is found unbecoming the framework of Model Code of Conduct or the statutory scheme. It further reinforces the vital information of publisher to elector at large.

Page 1 of 2

Page 2 of 2

4. Accordingly, Section 127A of the R P Act 1951 clearly prohibits 'printing or publishing' of election pamphlet / poster without bearing the name & address of the printer & publisher on the face thereof. Section 127 A(3)(b) gives a wide amplitude to the meaning of the phrase "election pamphlet or poster", to include, "placard or poster". Thus any non-compliance or obfuscations of this requirement is always to be viewed seriously.

5. You are hereby advised that above instructions may be brought to the notice of all municipal authorities or such authorities that are responsible for hoardings/posters/banners etc. for strict compliance.

6. CEOs may bring this to the notice of all the political parties in the State for strict compliance.

Yours faithfully

(NARENDRA NATH TUFOLIA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY

3/3

2/3